

20<sup>11</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी और उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। पत्रावली के अनवान के अनुसार तीन बार आवाजे लगाई जाने के बावजूद प्रार्थी और उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अतः पत्रावली अदम हाजरी और अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



सहायक कलर एवं पदेन  
उपसप्ट अधिकारी, बाली